प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय

ओडिशा, भुवनेश्वर

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I), ODISHA, BHUBANESWAR

ओ.ओ.सी.संख्या- 968 दिनांक - 23.03.2026

विषय/ Subject - हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत फरवरी 2025 - जनवरी 2026 सत्र में आयोजित हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बारह (12) माह हेतु एक वेतन वृद्धि की राशि के बराबर वैयक्तिक वेतन प्रदान करने के संबंध में ।

Disbursement of the personal pay equal to the amount of one increment for the period of twelve (12) months for passing the Hindi Stenography exam under HTS for the session February 2025- January 2026 – regarding

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना, भुवनेश्वर के पत्र संख्या 12/1/2025-सकाभाअ/भुव/ दिनांक 17.01.2025 में उल्लेखित वित्तीय प्रोत्साहन के प्रावधान के अनुसार, प्रधान महालेखाकार (लेप.-I) महोदय ने निम्नलिखित कर्मचारीगण को फरवरी 2025 - जनवरी 2026 सत्र में आयोजित हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उनके नाम के आगे अंकित तिथि से प्रभावी बारह (12) महीने की अवधि के लिए उनके वेतनमान में एक (01) वेतन वृद्धि की राशि के बराबर वैयक्तिक वेतन प्रदान करने की सहर्ष संस्वीकृति प्रदान की है। कर्मचारीगण का विवरण निम्नानुसार है:-

In pursuance of provisions contained in Government of India, Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Hindi Teaching Scheme, Bhubaneswar letter No. 12/1/2025-सकाभाअ/भुव/ dated 17.01.2025 in respect of financial incentive, the Pr. Accountant General (Audit-I) has been pleased to sanction the personal pay equal to the amount of one (01) increment for the period of twelve (12) months to the following official from the date mentioned against their name for passing Hindi Stenography exam under HTS in the session February 2025- January 2026. The details of the official is as follows:

परीक्षा परिणाम की घोषित तिथि - 27.02.2026 (परिणाम पत्र संलग्न)

क्र.सं.	**कर्मचारी का नाम (सुश्री/ श्रीमती/ श्री), पदनाम एवं अनुभाग**	**मातृभाषा**	**कुल प्राप्तांक**	**प्राप्त प्रतिशतता**	**प्रभावी तिथि**
1.	राजा केशरी, आशुलिपिक, ए.एम.जी-III	हिंदी	179	89.50%	01.04.2026

हस्ता/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

Sr. Deputy Accountant General (Admn)

ज्ञापांक - राजभाषा अनुभाग/53/वैयक्तिक वेतन एवं नकद पुरस्कार/2025/563 दिनांक: 23.03.2026

प्रतिलिपि, सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित :
Copy forwarded for information and necessary action:

01. उपनिदेशक - लेखापरीक्षा (वित्त एवं नियंत्रण), कटक
The Deputy Director- Audit (Finance and Control), Cuttack

02. शाखाधिकारी- प्रशासन, ए.एम.जी-III / Branch Officer – Admn, AMG-III

03. शाखाधिकारी- ए.एम.जी-III / Branch Officer – AMG-III

04. शाखाधिकारी- कार्यालय स्थापना (उपरोक्त कर्मचारी (01) को उनके नाम के आगे अंकित तिथि से प्रभावी 12 (बारह) महीने की अवधि के लिए उनके वेतनमान में एक वेतन वृद्धि की राशि के बराबर वैयक्तिक वेतन सुनिश्चित करने के निवेदन सहित)
Branch Officer –Office Establishment (With a request to ensure disbursement of personal pay equal to the amount of one increment to the above employee (01) in his pay scale for a period of 12 (twelve) months with effect from the date indicated against his name).

05. सभी संबंधित/ All concerned.

06. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, डी.ए. एवं आर.सी से अनुरोध है कि कृपया इस ओओसी को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
The Assistant Audit Officer i/c DA&RC is requested to kindly upload this OOC to our official website.

07. प्रशासन अनुभाग, परिपत्र/ ओओसी गार्ड फाइल/ Admn Section, Circular/ OOC Guard File.

08. राजभाषा अनुभाग, परिपत्र/ ओओसी गार्ड फाइल/ Rajbhasha Section, Circular/ OOC Guard File.

09. सूचना पट्ट /Notice Board

10. अतिरिक्त प्रतिलिपि
Spare copy

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/राजभाषा अनुभाग
Sr. Audit Officer/ Rajbhasha Section

राजभाषा अनुभाग (लेखापरीक्षा-I) / Rajbhasha Section (Audit-I)
आवक सं / Inward Dy. No. 775
दिनांक 10/03/2026

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालयः राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

सत्यमेव जयते

हिंदी शिक्षण योजना/Hindi Teaching Scheme
हिंदी टंकण/ हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र
Hindi Typewriting/Stenography Training Centre
प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) ओडिशा कार्यालय परिसर
भुवनेश्वर/Bhubaneswar-751001
दिनांक/Dated:10.03.2026

सं.-हि.शि.यो.(टं.आ.)/भुव/ 67/2026

सेवा में,

कार्यालय प्रमुख/संपर्क अधिकारी(हिंदी),
प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा-। का कार्यालय ओडिशा
ए.जी. चौक
भुवनेश्वर - 751001.

विषयः जनवरी 2026 में आयोजित हिंदी आशुलिपि परीक्षा -- घोषित परिणाम

परीक्षा परिणाम घोषित तिथि-27.02.2026

महोदय,

हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली द्वारा (जनवरी 2026 में) आयोजित की गई हिंदी आशुलिपि परीक्षा में सम्मिलित हुए आपके कार्यालय/विभाग के कर्मचारियों का परीक्षा परिणाम निम्नलिखित हैः-

क्र.सं.	अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम व पदनाम (श्री/श्रीमती/कुमारी)	प्रश्न पत्र-1 80 श.प्र.मि.		प्रश्न पत्र-1 100 श.प्र.मि.	
			प्राप्तांक	परिणाम	प्राप्तांक	परिणाम
1.	S13060-06-00019	राजा केशरी आशुलिपिक ग्रेड-2	85	उत्तीर्ण	94	उत्तीर्ण

विशेष टिप्पणीः-

1. प्रथम प्रश्न पत्र 80 शब्द प्रति मिनट तथा द्वितीय प्रश्नपत्र 100 शब्द प्रति मिनट का है।
2. प्रथम श्रेणी विशेष प्रवीणता के साथ 91 प्रतिशत अंक या उससे अधिक अंक।
   प्रथम श्रेणी - 81 से 90 प्रतिशत अंक।
   द्वितीय श्रेणी - 67 से 80 प्रतिशत अंक।
   तृतीय श्रेणी - 50 से 66 प्रतिशत अंक।
   अनुत्तीर्ण - 50 प्रतिशत से कम अंक (प्रत्येक प्रश्न में) प्राप्त करने पर।
3. जो परीक्षार्थी यदि किसी भी एक प्रश्न पत्र (80 शब्द प्रति मिनट अथवा 100 शब्द प्रति मिनट की गति) में उत्तीर्ण होता है तो वह उत्तीर्ण माना जाएगा। किंतु वैयक्तिक वेतन/नगद पुरस्कार उपरोक्त शर्तों के अधीन देय होगा।

भवदीय,

(जलेश्वर उरांव/JALESHWAR ORAON) 10/03/2026
सहायक निदेशक(हिंदी टंकण/आशुलिपि)
सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
हिन्दी शिक्षण योजना, भुवनेश्वर

राजभाषा अनुभाग (लेखापरीक्षा-1) / Rajbhasha Section (A...
आवक सं / Inward Dy. No. 774
दिनांक 10.03.2026

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना

पूर्व क्षेत्र परीक्षा परिणाम - [हिंदी आशुलिपि दीर्घकालिक । वर्ष प्रतिदिन । घंटा (फरवरी-जनवरी) 2026]

	[श्री/श्रीमति/कुमारी] प्रशिक्षार्थी नाम, पदनाम पिता/पति का नाम	कार्यालय का नाम और पता	प्रश्न पत्र 1 80 शब्द प्रति मिनिट		प्रश्न पत्र 2 100 शब्द प्रति मिनिट		ई-मेल भेजें
			प्राप्तांक	परिणाम	प्राप्तांक	परिणाम	
1	प्रदिप्त कुमार देसुआरी,आशुलिपिक निरंजन देसुआरी [S13060-06][00012]	[0380248] महाप्रबंधक का कार्यालय, पूर्व तट रेलवे, इकोर सदन चंद्रशेखर पुर भुवनेश्वर-751017	58		92	उत्तीर्ण	
2	वर्षारानी पंडा,आशुलिपिक ग्रेड-2 बनबिहारी पंडा [S13060-06][00013]	[0170778] प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, आयकर भवन राजस्व विहार भुवनेश्वर-751007	00		60	उत्तीर्ण	
3	सोनामोनि सिंह,आशुलिपिक ग्रेड-2 अनिल सिंह [S13060-06][00015]	[0170778] प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, आयकर भवन राजस्व विहार भुवनेश्वर-751007	83		90	उत्तीर्ण	
4	राजा केशरी,आशुलिपिक ग्रेड-2 रघुवीर कुमार साव [S13060-06][00019]	[0620144] प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा-1 का कार्यालय ओडिशा ए.जी चौक भुवनेश्वर-751001	85		94	उत्तीर्ण	
5	चक्रधर मुदुली,निजी सचिव ब्रजबंधु मुदुली [S13060-06][00020]	[0070192] मुख्य महाप्रबंधक का कार्यालय, भारत संचार निगम लिमिटेड बी.एस.एन.एल, भवन, युनिट-2 भुवनेश्वर-751009	93		86	उत्तीर्ण	
6	सुचिता महान्ति,प्रधान निजी सचिव जितेन मिश्रा [S13060-06][00021]	[0070192] मुख्य महाप्रबंधक का कार्यालय, भारत संचार निगम लिमिटेड बी.एस.एन.एल, भवन, युनिट-2 भुवनेश्वर-751009	93		96	उत्तीर्ण	
7	बिजय कुमार सेठी,आशुलिपिक ग्रेड-1 भास्कर सेठी [S13060-06][00023]	[0380770] रेल दावा अधिकरण ओ.एफ.डी.सी. बिल्डिंग, खारवेल नगर, भुवनेश्वर-751001	85		96	उत्तीर्ण	

यह परीक्षा परिणाम नगद पुरस्कारों के दावे के लिए मान्य होगा।
दिनांक : 27/02/2026

(हस्ताक्षर)
सहायक निदेशक
Assistant Director

विशेष टिप्पणी :-

1. प्रथम प्रश्न पत्र 80 शब्द प्रति मिनट तथा द्वितीय प्रश्न पत्र 100 शब्द प्रति मिनट का है।
2. जिन परीक्षार्थियों ने पूर्णांक 200 अंकों में से 88 प्रतिशत अर्थात 176 अंक अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं वे नगद पुरस्कार पाने के हकदार हैं, बशर्ते कि वे राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा विहित अन्य शर्तें पूरी करते हों।
3. राजभाषा विभाग के दिनांक 26 जुलाई, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-21034/08/2017-रा.भा.(प्रशि.) के अनुसार अराजपत्रित कर्मचारियों को वैयक्तिक वेतन पाने के लिए 70 प्रतिशत अर्थात 200 अंकों में से 140 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी तरह राजपत्रित आशुलिपिकों को वैयक्तिक वेतन पाने के लिए 75 प्रतिशत अर्थात 200 अंकों में से 150 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
4. प्रथम श्रेणी विशेष प्रवीणता के साथ 91 प्रतिशत अंक या उससे अधिक अंक।

प्रथम श्रेणी- 81 से 90 प्रतिशत अंक।
द्वितीय श्रेणी- 67 से 80 प्रतिशत अंक।
तृतीय श्रेणी- 50 से 66 प्रतिशत अंक।
अनुत्तीर्ण – 50 प्रतिशत से कम अंक (प्रत्येक प्रश्न पत्र में) प्राप्त करने पर।

5. जो परीक्षार्थी यदि किसी भी एक प्रश्न पत्र (80 शब्द प्रति मिनट अथवा 100 शब्द प्रति मिनट की गति) में उत्तीर्ण होता है तो वह उत्तीर्ण माना जाएगा। किंतु वैयक्तिक वेतन/ नगद पुरस्कार उपरोक्त बिंदु 2 व 3 में दी गई शर्तों के अधीन देय होगा।

122

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
हिंदी शिक्षण योजना
HINDI TEACHING SCHEME
हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण स्कंध
HINDI WORD PROCESSING/HINDI TYPING & STENOGRAPHY TRAINING WING

मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार का कार्यालय, भारत संचार निगम लि0,
Office of the C. G. M. Doorsanchaar, Bharat Sanchaar Nigam Lt.,
यूनिट-2, अशोक नगर/Unit-2, Ashok Nagar
भुवनेश्वर/Bhubaneswar-751009

संख्या/No:12/1/2025-सकाभाअ/भुव/

दिनांक/Dated : 17.01.2025

राजभाषा अनुभाग (सेवा/परीक्षा-I) / Rajbhasha Section (...)
आवक सं / Inward Dy. No. 41
दिनांक 30.01.25

सेवा में,

सभी कार्यालय प्रधान/ संपर्क अधिकारी(राजभाषा)/All Head of Offices/Liaison Officer(O.L.)
केंद्र सरकार के कार्यालय एवं सांविधिक / स्वायत्तशासी संगठन
Central Govt. Offices & Central Govt. Statutory / Autonomous Organizations
केंद्र सरकार के स्वामित्व / नियंत्रणाधीन उपक्रम, कंपनी एवं राष्ट्रीयकृत बैंक
PSUs, Companies and Nationalized Banks owned & under controlled by Central Government.
भुवनेश्वर /Bhubaneswar.

विषय : **सेवाकालीन हिंदी शब्द संसाधन/टंकण प्रशिक्षण(सत्र फरवरी, 2025 से जुलाई, 2025) एवं हिंदी आशुलिपि(सत्र फरवरी 2025 से जनवरी, 2026) प्रशिक्षण के अंतर्गत ऑफलाइन कक्षाओं के गठन के संबंध में।**

Sub: Regarding formation of offline classes under in-service Hindi word processing/typing training (session February 2025 to July 2025) and Hindi Stenography (session February 2025 to January 2026)..

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय के अनुक्रम में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय के अंतर्गत भुवनेश्वर स्थित प्रशिक्षण केंद्र पर हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि ऑफलाइन प्रशिक्षण का आगामी सत्र 17 **फरवरी,** 2025 से प्रारंभ होगा। भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण निर्धारित अवधि अर्थात् वर्ष **2025 तक** पूरा कर लिया जाए। तदनुसार हिंदी शब्द संसाधन/हिदीं टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के ऑफलाइन प्रशिक्षण हेतु केंद्र सरकार के समस्त कार्यालयों/संगठनों/उपक्रमों/कंपनियों/राष्ट्रीयकृत बैंकों से नामांकन प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

Madam / Sir,

Refer to the subject cited above, I am directed to inform that the new session of Hindi word Processing/Hindi Typing and Hindi Stenography Offline Training program of the Hindi Teaching Scheme, O.L. Dept., MHA will commence from **17th February, 2025**. It has been decided by The Govt. of India that In-service Hindi training is to be completed till the end of year **2025**. Accordingly, nominations proposals are invited from Govt. of India Offices/Organizations/PSUs/Companies/Nationalized Banks for offline Hindi word processing/Hindi Typing and Hindi Stenography.

दिनांक 13-14 फरवरी, 2025 को प्रशिक्षण केंद्र पर उपस्थित होने वाले कर्मचारियों को ऑफलाइन कक्षाओं में "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की ऑफलाइन कक्षाएँ दिनांक 17 फरवरी, 2025 से सत्रांत तक प्रति कार्य-दिवस पर संचालित की जाएँगी।

The trainee, who report at the training center on 13th-14th February, 2025, will be enrolled on "first cum first serve" basis for offline Hindi Word Processing/Hindi Typing and Hindi Stenography classes. Offline classes of this training course will be conducted on every working day from 17th February, 2025 to till the end of session.

1. प्रशिक्षण केंद्र का पता, प्रशिक्षण का नाम, प्रशिक्षण अवधि एवं परीक्षा/ADDRESS OF TRAINING CENTRE, NAME OF TRAINING COURSE, DURATION & EXAMINATION:

प्रशिक्षण केंद्र का पता Address of Training Centre	प्रशिक्षण केंद्र पर तैनात स.नि.(टं/आ.) का नाम, मोबाईल नं0 एवं ईमेल/ Name, mobile number and email of Astt. Director (T/S) posted at the training center	पाठ्यक्रम / Course	अवधि / Duration	परीक्षा / Examination
हिंदी शब्दसंसाधन/हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र, हिंदी शिक्षण योजना, प्रधान महालेखाकार का कार्यालय, ओडिशा, भुवनेश्वर-751001 Hindi Word Processing/Hindi Typing & Stenography Training Centre, Hindi Teaching Scheme, O/o-the Principal Accountant General, Odisha, Bhubaneswar-751001	श्री आर.बी. पासवान SHRI ई R.B. Paswan मो. नं0/Mo. No-8917507076 ईमेल/ Email-rbpaswan26@gmail.com/ chti1059@nic.in	हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण(ऑफलाइन)/ Hindi Word Processing/Hindi Typing Training (Offline)	छह मास / Six months (फरवरी, 2025 से जुलाई, 2025) (February, 2025 to July, 2025) एक घंटे प्रतिदिन/One hour Daily समय 11.00 से 12.00 02.00 से 03.00 03.00 से 04.00 04.00 से 05.00 बजे तक।	परीक्षाएँ जुलाई, 2025 के प्रथम अथवा दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएँगी। The examinations will be held in the first or second week of July, 2025.
		हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण(ऑफलाइन)/ Hindi Stenography Training (Offline)	एक वर्ष / One year (फरवरी, 2025 से जनवरी, 2026) (February, 2025 to January, 2026) एक घंटे प्रतिदिन/One hour Daily समय 10-00 बजे से 11.00 बजे तक	परीक्षाएँ जनवरी, 2026 के प्रथम अथवा दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएँगी। The examinations will be held in the first or second week of January, 2026.

हिंदी शब्द संसाधन/ टंकण प्रशिक्षण हेतु पात्रता / Eligibility for Hindi Word Processing/Hindi Typing Training:

अनिवार्य:-

- सभी [illegible] लिपिक/ अंग्रेजी टंकक, कनिष्ठ [illegible] सहायक, कार्यालय सहायक, [illegible] के [illegible] सहायक, [illegible] सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर जिनके पास हिंदी शिक्षण योजना के [illegible] स्तर का हिंदी ज्ञान है, वे हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं।

- All the LDCs/ English Typists, Junior Secretariat Assistant, Office Assistants, Tax Assistant in Income Tax & Customs, Postal Assistants, Railway Sorting Assistant, Telecom Assistants, Data entry Operators. who possess knowledge of Hindi up to the level of Hindi Praveen of HTS are eligible for Hindi Word Processing / Hindi Type training course.
- वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन कार्मिकों के लिए जो वर्ग "ग" के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखते हैं, वे भी हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण के लिए पात्र होंगे।
- Those personnel who came from Group "D" to Group "C" & who possess educational qualifications for class "C", are also eligible for Hindi word processing/Hindi typing training,

स्वैच्छिकः-

- वर्तमान में सहायकों/सहायक अनुभाग अधिकारियों, उच्च (प्रवर) श्रेणी लिपिकों, वरिष्ठ सचिवालय सहायकों तथा हिंदी अनुवादकों/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों/ वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के लिए के.हिं.प्र.सं./हिं.शि.यो. के अंतर्गत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, अतः इन्हें हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और इन्हें कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश दिया जा सकता है। ये कर्मचारी हिंदी हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सभी प्रकार के वितीय लाभ/वितीय प्रोत्साहन आदि के हकदार होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि। सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है, किंतु वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वितीय लाभ/वितीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे। जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि।

  At present, the posts of Assistant/Assistant Section Officer, Additional (Senior) Division Clerk. Senior Secretariat Assistant and Hindi Translator/Junior Translation Officer/Translator are vacant. For Senior Translation Officers, C.H.T.I./H.T.S, are also available. Training in Hindi Word Processing/Hindi Typing is not mandatory under the Hindi Teaching Scheme and hence they can be enrolled on a voluntary basis in the Hindi Word processing/*Hindi Typing classes of the Hindi Teaching Scheme and can be admitted in case of vacancy in the classes. These employees will be entitled to all financial benefits/financial incentives etc. such as personal salary cash reward and lump sum reward etc on passing the Hindi word processing/Hindi Typing Test. As categories of officers for whom training in Hindi word processing/Hindi typing is not mandatory but useful can be nominated on voluntary basis, but Hindi word processing/Hindi Typing they will not be entitled to any financial benefits/financial incentives etc. Such as personal salary. Cash prizes and lump sum prizes etc.

(ii) <u>हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु पात्रता</u>:

पात्रता: केवल उन्हीं अधिकारीयों/कर्मचारियों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है।

<u>अनिवार्य</u>: सभी वर्गों के अंग्रेजी आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों तथा निजी सचिवों हेतु।

<u>स्वैच्छिक</u>: हिंदी टंकण जानने वाले अवर श्रेणी लिपिकों/कनि. सचिवालय सहायकों/टंककों को भी कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है बशर्ते संबंधित विभाग/कार्यालय यह प्रमाणित करे कि उस कर्मचारी की हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता का कार्यालय के कार्य में उपयोग किया जाएगा। परंतु ये कर्मचारी परीक्षा उतीर्ण करने पर किसी प्रकार के वितीय लाभ/प्रोत्साहन के हकदार नहीं होंगे।

<u>हिंदी में योग्यता</u> - हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ पास।

<u>Eligibility for Hindi Stenography Training:</u>

Eligibility : Only those Officers/Employees will be admitted to the training of Hindi Stenography who have not undergone the said training so far.

Obligatory :

All categories of English Stenographers/PAs/PSs

Voluntary :

Such LDC/JSAs/Typists as have passed out Hindi Typing Exam subject to seats vacant and provided that the concerned office/dept. Certifies that the proficiency so achieved in Hindi stenography will be utilized in official work can also be nominated on voluntary basis. But such employees will not be entitled to any kind of financial benefits/incentives on passing the exam.

1. प्रशिक्षण ~~~ —

Qualification in Hindi: - Matric with Hindi or any other equivalent examination such as PRAGYA pass by Hindi Teaching Scheme.

<u>वित्तीय प्रोत्साहन(हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण)/ Financial Incentives(Hindi Word Processing/Hindi Typing):</u>

- हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण प्रशिक्षण की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कैंद्र सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 12 महीने की अवधि के लिए वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।
- Personal Pay equal to one increment for 12 months granted to Central Government employee for passing the Hindi Word Processing / Hindi Typing examination of HTS if they fulfil the terms & conditions.
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्राप्तांकों के आधार पर नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं(बशर्ते वे अन्य नियम व शर्तें पूरा करते हों), जिनकी वर्तमान दरें इस प्रकार है:
- The following cash awards are granted on the basis of marks obtained in Hindi Word Processing/ Hindi Typing Examination (provided that they fulfil other terms & conditions):-

न्यूनतम प्राप्तांक	Minimum Marks obtained	नकद पुरस्कार / Cash prize
97% या उससे अधिक	97% or more marks	₹ 2,400
95% या उससे अधिक लेकिन 97% से कम	95% or more but less than 97%	₹ 1,600
90% या उससे अधिक लेकिन 95% से कम	90% or more but less than 95%	₹ 800

<u>वित्तीय प्रोत्साहन(हिंदी आशुलिपि)/ **Financial Incentives(Hindi Stenography):**</u>

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 26 जुलाई, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21034/08/2017-रा.भा(प्रशि.) के अनुसार अराजपत्रित अंग्रेजी आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि परीक्षा में 70 प्रतिशत अंक तथा राजपत्रित अंग्रेजी आशुलिपिक 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार होंगे।
- जिन अंग्रेजी आशुलिपिकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है उन्हें निर्धारित शर्तें पूरी करने पर हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर दो वेतन-वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 किमी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग व्यय देय है।
- हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्राप्तांकों के आधार पर नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनकी वर्तमान दरें इस प्रकार है:
- As per Office Memorandum No. 21034/08/2017-O.L.(Training) dated July 26, 2017, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, on obtaining 70 percent marks in non-gazetted English Stenographer Hindi Stenographer and 75 percent marks in gazetted English Stenographer shall be entitled to draw personal pay. The Stenographers whose mother tongue is not Hindi are granted personal pay equal to the amount of two increments of passing Hindi Stenography exam.
- Actual conveyance charges for travelling in a public conveyance may be payable for training class if the distance is more than 1.6 KM.
- The following cash awards are granted on the basis of marks obtained in Hindi Stenography Examination: -

न्यूनतम प्राप्तांक	Minimum Marks obtained	नकद पुरस्कार / Cash prize
95% या उससे अधिक	95% or more marks	₹ 2,400
92% या उससे अधिक लेकिन 95% से कम	92% or more but less than 95%	₹ 1,600
88% या उससे अधिक लेकिन 92% से कम	88% or more but less than 92%	₹ 800

(iv)<u>परीक्षा शुल्क/ Examination Fee</u>: - कैंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह प्रशिक्षण निःशुल्क है, परंतु केंद्र सरकार के स्वामित्व / नियंत्रणाधीन उपक्रम/कंपनी/बैंक आदि में कार्यरत प्रशिक्षार्थियों के लिए रुपए 100/- प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है। परीक्षा शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है। बैंक ड्राफ्ट उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम से नई दिल्ली शाखा में भुगतान हेतु देय होना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट सीधे उप निदेशक(परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, [illegible], आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110 066 को भेजते हुए उसकी सूचना तत्काल सहायक निदेशक(परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, [illegible] को भेज दिया जाए।

This training is free of cost for Central Government employees, but the examination fee is charged from the trainees of Undertakings/Companies/Banks etc. owned or controlled by Central Government. Exam fee of ₹ **100** (One hundred Rupees) only should be paid by Bank

Draft in favor of The Deputy Director (Examination), Hindi Teaching Scheme payable at New Delhi branch. **Bank draft directly send to The Dy, Director(Exam), Hindi Teaching Scheme, East Block-7, Level-6, R.K. Puram, New Delhi-110 066 and the same may be immediately forwarded to the Assistant Director(T/S), Hindi Teaching Scheme, Bhubaneswar-751001.**

परीक्षा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की website www.onlinesbi.com पर चरणबद्ध तरीके अपनाते हुए ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकता है। ऑनलाइन फीस जमा करने के चरण इस प्रकार है:

1. सबसे पहले State Bank of India की website www.onlinesbi.com में State Bank of India पर क्लिक करने पर State Bank Collect नामक उपशीर्ष पर क्लिक करें एवं सभी शर्तो को स्वीकार करते हुए proceed करें।
2. State Bank Collect पेज पर State of Corporate/ Institution में All India Select करें। तदुपरांत Type of Corporate/Institution में Govt. Department Select करें एवं Go को click करें।
3. Department Name में HINDI TEACHING SCHEME, DEPTT. OF OFFICIAL LANGUAGE, MHA को SUBMIT करें।
4. Select Payment Category में Hindi Teaching Scheme Select करें। Select करते ही एक फॉर्म खुल जाएगा।
5. इस फॉर्म को भरने के पश्चात Submit करें। Submit करने के बाद अपने भरे हुए विवरण को Confirm कर Payment करें।
6. **Payment करने के बाद Receipt के प्रिंट की फोटो प्रति उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, तल-6 रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066; उप निदेशक (पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना, निजाम पैलेस 18वां तल कोलकाता-700020 एवं सहायक निदेशक (टं/आ), हिशियो, भुवनेश्वर को भी भेजें।**

अंत में, सभी कार्यालय अध्यक्षों / प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र को अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/ इकाइयों/शाखाओं में परिचालित करते हुए कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि जिन कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु प्रवेश दिया जाए, वे निश्चित रूप से ऑफलाइन प्रशिक्षण हेतु नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से सत्रांत परीक्षा में भी सम्मिलित हों।

Therefore, All Heads of Offices & Administrative Officers are requested to circulate this letter to all their subordinate offices/ Units/Branches etc., They are also requested to ensure that all their officials, who have been nominated for the training, attend the classes regularly and appear the exam at the end of the session compulsorily.

विशेषः

- **प्रशिक्षण के लिए नामित कर्मचारियों को प्रवेश लेने हेतु अलग से कोई पुष्टि पत्र नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर दिया जाएगा।**

  No separate confirmation letter will be sent to the employees who nominated for training for admission. Admission will be given on "First Come First Serve" basis.

- **प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को दाखिला देने का पंजीकरण प्रमाण-पत्र सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) द्वारा दिया जाएगा, जिसे संबंधित कर्मचारी अपने आसन्न अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे ताकि प्रवेश न लेने वाले कर्मचारी के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई समय से की जा सके।**

  A Registration certificate will be issued by The Assistant Director (Typing & Stenography) to the trainees for confirmation of admission. It will be submitted by the concerned staff to their immediate officer so that appropriate action could be taken timely in respect of the employee who is yet to be admitted.

सभी कार्यालय अध्यक्षों से पुन: अनुरोध है कि हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि(ऑफलाइन) प्रशिक्षण की नई कक्षाओं में नामांकन के लिए अधिक से अधिक कर्मचारियों को नामित करने का कष्ट करें जिससे राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

All the Heads of the Offices are again requested to nominate their officials for In-service Hindi Word Processing / Hindi Typing & Hindi Stenography(offline) training so that prescribed target could be achieved in due manner.

नामांकन, संलग्न किए गए प्रपत्र (1) में संबंधित कैंद्र पर तैनात सहायक निदेशक(टं/आ), श्री आर.बी.पासवा हिंदी शिक्षण योजना, प्रशिक्षण स्थानः- प्रधान महालेखाकार का कार्यालय, भुवनेश्वर-751001, (मो0 नं0-8917507076, को ई-मेलः rbpaswan26@gmail.com पर दिनांक 10 फरवरी, 2025 तक या उससे पूर्व भिजवाने का कष्ट करें तथा स मेल की प्रति chti1047@nic.in पर भी भेजने का कष्ट करें।

Kindly mail the nomination in the proforma(1) enclosed herewith to The Assistant Director (T/S), Shri R.B.Paswan, Hindi Teaching Scheme, Training Centre-O/o-Pr. Accountant General, Bhubaneswar-751001,(Mob.8917507076) on (1) Email Address: rbpaswan26@gmail.com on or before 10th February, 2025 and also try to send a copy of this mail to chti1047@nic.in.

प्रपत्र/Proforma (1)

प्रशिक्षण हेतु शेष कर्मचारियों की संख्या/Number of employees remaining for Training	
हिंदी टंकण/Hindi Typing	हिंदी आशुलिपि/Hindi Stenography

राजभाषा हिंदी के प्रशिक्षण एवं कार्यान्वयन के इस महत्वपूर्ण अभियान में आपका सहयोग सराहनीय होगा।
Your contribution to this operation of In-service training & implementation of Official Language Hindi will be appreciable.

भवदीय / Yours faithfully,
पी. के. महापात्र
17.01.2025
(पी.के.महापात्र / P.K.Mohapatra)
सर्वकार्यभारी अधिकारी.)/Officer in over all-charage
हिंदी शिक्षण योजना/ Hindi Teaching Scheme
भुवनेश्वर/Bhubaneswar,
सर्वकार्यभारी अधिकारी
हिन्दी शिक्षण योजना, भुवनेश्वर
Officer in Overall Charge
Hindi Teaching Scheme, Bhubaneswar

प्रतिलिपि प्रेषित / Copy forwarded to:-

1. सहायक निदेशक(टं/आ.), हिंदी शिक्षण योजना, भुवनेश्वर/Asstt. Director(T/S), HTS, Bhubaneswar.
2. उप निदेशक(पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना, कोलकाता /The Deputy Director(East), HTS, Kolkata.
3. निदेशक, कैंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली / The Director, CHTI, New Delhi.
4. सभी अध्यक्ष, भुवनेश्वर नराकास(कैंद्रीय) / All the Chairman, TOLIC(Central), Kolkata.
5. सभी अध्यक्ष, भुवनेश्वर नराकास(बैंक/बीमा कं0) / All the Chairman, TOLIC(Bank/Insurance Company), Bhubaneswar.
6. सभी अध्यक्ष, कोलकाता नराकास(उपक्रम) / All the Chairman, TOLIC(PSUs), Bhubaneswar.

सं.- 07/57/2024-हिंशियो/(मु0)/ — 2646

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय/ MINISTRY OF HOME AFFAIRS

राजभाषा विभाग

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक /Date- 06/11/2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय- हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन-नकद पुरस्कारों की राशि में वृद्धि किया जाना।

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग के दिनांक 01 जुलाई, 2025 के तत्संबंधी कार्यालय ज्ञापन संख्या 21034/25/2024-रा.भा.(प्रशि.) द्वारा हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन-नकद पुरस्कार तथा निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर दिए जाने वाले एकमुश्त पुरस्कार की राशि में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है (प्रति संलग्न)।

2. इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि अपने-अपने क्षेत्रों के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों/ नराकासों में राजभाषा विभाग के संलग्न कार्यालय ज्ञापन का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करें, जिससे संबंधित कार्यालयों में हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले कार्मिक प्रेरित/प्रोत्साहित हों।

3. इन प्रोत्साहन-नकद पुरस्कारों की संशोधित दरें दिनांक 01.07.2025 को अथवा उसके उपरांत घोषित हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के सभी परीक्षा परिणामों पर लागू होंगी।

(ले. कर्नल रामनरेश शर्मा)
निदेशक

संलग्नक: यथोपरि।

सेवा में,

1. उप निदेशक (हिंशियो) /सहायक निदेशक (भाषा) एवं कार्यालयाध्यक्ष, हिंदी शिक्षण योजना (पूर्व/पश्चिम/दक्षिण/पूर्वोत्तर/ मध्योत्तर/परीक्षा), कोलकाता/नवी मुंबई/चेन्नई/गुवाहाटी/नई दिल्ली।
2. उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर/दक्षिण-पश्चिम/पूर्व-पूर्वोत्तर), नई दिल्ली/नवी मुंबई/कोलकाता।
3. सभी सहायक निदेशक (भाषा)/ (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना को इस निदेश के साथ कि वे दिनांक 01.07.2025 को अथवा उसके उपरांत जारी किए जाने वाले प्रशिक्षण संबंधी परिपत्रों में इन प्रोत्साहन-नकद पुरस्कारों की संशोधित दरों को समावेशित करते हुए संपर्क कार्य के दौरान इस कार्यालय ज्ञापन का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करें।
4. उप निदेशक (हिंशियो), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
5. सहायक निदेशक (भाषा/ मुख्यालय) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
6. सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि उक्त कार्यालय ज्ञापन की प्रति केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाएं।

	ग. प्राज्ञ		
1.	70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु.2400/-	रु.6000/-
2.	60% या इससे अधिक परन्तु 70% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु.1600/-	रु.4000/-
3.	55% या इससे अधिक परन्तु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु.800/-	रु.2000/-

II हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि की परीक्षा			
	क. हिंदी टंकण		
1.	97% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु.2400/-	रु.6000/-
2.	95% या इससे अधिक परन्तु 97% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु.1600/-	रु.4000/-
3.	90% या इससे अधिक परन्तु 95% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु.800/-	रु.2000/-
	ख. हिंदी आशुलिपि		
1.	95% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु.2400/-	रु.6000/-
2.	92% या इससे अधिक परन्तु 95% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु.1600/-	रु.4000/-
3.	88% या इससे अधिक परन्तु 92% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु.800/-	रु.2000/-

III निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं

1.	हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा	रु.1600/-	रु.3500/-
2.	हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा	रु.1500/-	रु.4000/-
3.	हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा	रु.2400/-	रु.6000/-
4.	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टंकण परीक्षा	रु.1600/-	रु.4000/-
5.	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा	रु.3000/-	रु.7500/-

संख्या-21034/25/2024-राभा(प्रशि.)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

2229
16/07/2025

एन.डी.डी.सी.-II, 4था तल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली ।
दिनांक: 01/07/2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- **हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन-नकद पुरस्कार की राशि में वृद्धि तथा निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले एकमुश्त पुरस्कार की राशि में वृद्धि किए जाने के संबंध में ।**

संदर्भ:- दिनांक 28.05.2024 के पत्र सं.7/57/24-हिंशियो(मु.)/1320।

उपर्युक्त विषय पर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में आंतरिक वित्त प्रभाग के माध्यम से व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन-नकद पुरस्कार की राशि में वृद्धि तथा निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले एकमुश्त पुरस्कार की राशि में निम्नानुसार वृद्धि किए जाने पर सहमति प्रदान कर दी है:-

क्र.स.	हिंदी शिक्षण योजना का हिंदी भाषा परीक्षा	वर्तमान नकद पुरस्कार की राशि	संशोधित नकद पुरस्कार की राशि
	क. प्रबोध		
1.	70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु.1600/-	रु.4000/-
2.	60% या इससे अधिक परन्तु 70% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु.800/-	रु.2000/-
3	55% या इससे अधिक परन्तु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु.400/-	रु.1000/-
	ख. प्रवीण		
1.	70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु.1800/-	रु.4500/-
[illegible]	[illegible] 70% से कम	रु.1200/-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2. अतः संस्थान आंतरिक वित्त प्रभाग/व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर कार्रवाई करें ।

3. यह कार्यालय ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

मौसमी
01/07/2025
(मौसमी तिर्की)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

निदेशक,
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
7वां तल, दीनदयाल उपाध्याय भवन,
नई दिल्ली - 110003 ।